फार्म नं० 5

ऋण वसूली अधिकरण

600/1, हनुमान सेतु मंदिर, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ–226007
(न्यायाधिकार का क्षेत्र–उत्तर प्रदेश का भाग)

जवाब दाखिल करने तथा उपस्थित होने के सम्बन्ध में प्रकाशन द्वारा सम्मन

ओ.ए. नं. 196/2018 दिनांक : 25.09.2018

(बैंको तथा वित्तीय संस्थाओ के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित ऋण वसूली आधिकरण (प्रक्रिया नियमावली 1993) के नियम 12 और 13 के तहत प्रतिवादी को सम्मन)

मूल आवेदन संख्या 196 वर्ष 2018

एक्सिस बैंक लिमिटेड ....आवेदक

विरूद्व

कार्तिक फीड इण्डस्ट्री एवं अन्य ....प्रतिवादीगण

सेवा में,

1. **कार्तिक फीड इण्डस्ट्री,** द्वारा प्रोपाइटर श्री मनोज कुमार, निवासी ग्राम मुरलीवाला, निकट राधास्वामी सत्संग भवन, जसपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
2. **मनोज कुमार** पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी म०नं० 175, मो० गुजरतिया उत्तरी, ग्राम जसपुर, निकट गांधी पार्क, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
3. **कौशल चौहान** पत्नी मनोज कुमार, निवासी म०नं० 175, मो० गुजरतिया उत्तरी, ग्राम जसपुर, निकट गांधी पार्क, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में, आपसे अपना जवाब दस्तावेजों और शपथपत्रों (यदि कोई) सहित, लिखित रूप में (पेपर बुक फॉर्म में), दो सेट्स में, व्यक्तिगत रूप से अथवा आपके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से अथवा वकील के माध्यम से, जवाब की प्रति, सम्मन के प्रकाशन के पश्चात, आवेदक को अथवा उसके वकील/विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजने के बाद, दाखिल करने और उसके बाद दिनांक **06.11.2018** को **प्रातः 10:30 बजे** इस अधिकरण के समक्ष पेश होने की अपेक्षा की जाती है। इसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

फार्म नं० 5

ऋण वसूली अधिकरण

600/1, हनुमान सेतु मंदिर, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ–226007
(न्यायाधिकार का क्षेत्र–उत्तर प्रदेश का भाग)

जवाब दाखिल करने तथा उपस्थित होने के सम्बन्ध में प्रकाशन द्वारा सम्मन

ओ.ए. नं. 376/2018 दिनांक : 25.09.2018

(बैंको तथा वित्तीय संस्थाओ के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित ऋण वसूली आधिकरण (प्रक्रिया नियमावली 1993) के नियम 12 और 13 के तहत प्रतिवादी को सम्मन)

मूल आवेदन संख्या 376 वर्ष 2018

एक्सिस बैंक लिमिटेड ....आवेदक

विरूद्व

अजय शंकर सिंह एवं अन्य ....प्रतिवादीगण

सेवा में,

1. **अजय शंकर सिंह** पुत्र श्री राम नाथ सिंह निवासी एचआईजी 19, संगम विहार, श्याम नगर, कानपुर–208022
   एवं : अजय शंकर सिंह पुत्र श्री राम नाथ सिंह, एल.आई.जी., 173 फेज–2, तात्या टोपे नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत–208022
   एवं : अजय शंकर सिंह पुत्र श्री राम नाथ सिंह, अजय कैन्टीन, मेसर्स भाभा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग औनहा रमाबाई नगर, कानपुर–209202
2. **श्रीमती आशा सिंह** पत्नी श्री अजय शंकर सिंह, एचआईजी 19, संगम विहार, श्याम नगर, कानपुर–208022
   एवं : श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री अजय शंकर सिंह, एल.आई.जी., 173 फेज–2, तात्या टोपे नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत–208022
   एवं : श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री अजय शंकर सिंह, अजय कैन्टीन, मेसर्स भाभा कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग औनहा रमाबाई नगर, कानपुर–209202

उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में, आपसे अपना जवाब दस्तावेजों और शपथपत्रों (यदि कोई) सहित, लिखित रूप में (पेपर बुक फॉर्म में), दो सेट्स में, व्यक्तिगत रूप से अथवा आपके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से अथवा वकील के माध्यम से, जवाब की प्रति, सम्मन के प्रकाशन के पश्चात, आवेदक को अथवा उसके वकील/विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजने के बाद, दाखिल करने और उसके बाद दिनांक **02.11.2018** को **प्रातः 10:30 बजे** इस अधिकरण के समक्ष पेश होने की अपेक्षा की जाती है। इसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

नीलामी बिक्री सूचना

डीसीबी बैंक

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा ऋणधारक, सह–ऋणधारकों तथा विशेष रूप से गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. नई दिल्ली के पास गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 30.8.2018 को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उसका भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोलिखित बकाये तथा अधोलिखित विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिये निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की जायेगीः

सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर की जायेगी। यदि वे अपने सम्पूर्ण बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो वर्णित तिथि को नीलामी–सह–बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों के लिये यह एक सूचना हैः

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नामः आशा काम्बले, सुभाष सीधरम काम्बले

गिरवी सम्पत्ति का विवरणः फ्लैट नं. 51जी, टीएफ कैट– एलआईजी, पॉकेट ए–2, ईस्ट मयूर विहार–3, कोण्डली घरोली, नई दिल्ली–110096

आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
रु. 28,00,000/– (रुपए अट्ठाईस लाख मात्र)	रु. 2,80,000/– (रुपए दो लाख अस्सी हजार मात्र) (आरक्षित मूल्य का 10%)	2.11.2018 11.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	13.11.2018 12.30 अप. से 4.00 बजे अप.

बकायाः रु. 32,96,690/– (रुपये बत्तीस लाख छियानवे हजार छः सौ नब्बे मात्र) 29.08.2018 को।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 12.11.2018 को 6.30 बजे सायं या उससे पूर्व डीसीबी बैंक लि., 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली–110005 में धरोहर राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को नीलामी की तिथि 13.11.2018 को 12.30 बजे पूर्वा. में खोला जायेगा।

यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।

इच्छुक क्रेता अधिकतम् उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी (011)–66186387, 66186388 से सम्पर्क करना होगा।

धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार कर दी जायेगी।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने या नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में क्रेता को तत्काल 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी राशि घटाकर) का भुगतान करना होगा तथा यदि वे उसका भुगतान करने में विफल होते हैं तो धरोहर राशि के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से तत्काल बिक्री की जायेगी।

शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर धरोहर राशि के रूप में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।

अन्य किसी भी सांविधिक बकाये/करों/स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अंतरण शुल्क का वहन अलग से क्रेता को ही करना होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा बकाया देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी।

हस्ता./–
तिथिः 25.10.2018 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली **डीसीबी बैंक लिमिटेड**

गोलकोंडा एल्युमिनियम एक्सट्रूजन लिमिटेड

(पूर्व में एल्युमेको इंडिया एक्सट्रूजन लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
CIN: L74999DL1988PLC330668
पंजीकृत कार्यालयः ए–2/78–बी, केशव पुरम, नई दिल्ली–110035, भारत
ईमेल आईडीः cs@gael.co.in वेबसाइटः www.gael.co.in

30वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी और बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शनिवार, 17 नवम्बर, 2018 को प्रातः 11:00 बजे होटल ली रॉय, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप ("रिमोट ई–वोटिंग") में देने के लिए सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है।
3. एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वर्ष 2018 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.gael.co.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट स्वीकार्य पद्धति में अन्य सभी सदस्यों के उनके पंजीकृत पते पर भी भेजी जा चुकी है।
4. कट–ऑफ तिथि 10 नवम्बर, 2018 को भौतिक प्रारूप या अमूर्तीकरण प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
   - I. एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है;
   - II. रिमोट ई–वोटिंग 14 नवम्बर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी।
   - III. रिमोट ई–वोटिंग 16 नवम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   - IV. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या एजीएम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की कट–ऑफ तिथि 10 नवम्बर, 2018 है।
   - V. कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 10 नवम्बर, 2018 को शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है
   - VI. सदस्यगण कृपया नोट करें किः
     - a) सीडीएसएल द्वारा 16 नवम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के पश्चात उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
     - b) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
     - c) एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाला सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन वह दोबारा अपना वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा; और
     - d) ऐसे व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में वोटिंग की सुविधा के लिए हकदार होगा।
   - VII. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.gael.co.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते है बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, दादा हरसुखदास मंदिर के नजदीक एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062, ई–मेलः beetal@beetalfinancial.com

5. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **12 नवम्बर, 2018 से 17 नवम्बर, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।**

कृते गोलकोंडा एल्युमिनियम एक्सट्रूजन लिमिटेड
हस्ता./–
आनन्द भारती
स्थानः नई दिल्ली पूर्णकालिक निदेशक
दिनांकः 25.10.2018 **DIN: 02469989**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)
दूसरा तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, (उत्तराखण्ड) 248171

प्रकाशन सूचना

टी.ए. सं० 179/2018 में
(डीआरटी लखनऊ की पुरानी ओ.ए. सं० 1245/2016)

(समय–समय पर संशोधित अनुसार ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित ऋण वसूली एवं बैंकरप्सी अधिनियम 1993 की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन)

डी.वाई. सं० 1161 दिनांक 17.10.2018

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती आंचल छाबड़ा

1. श्रीमती आंचल छाबड़ा, वयस्क पुत्री श्री प्रेम छाबड़ा निवासी 13, पंचशील पार्क, बल्लूपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001।
   दूसरा पताः सी/ओ फ्लोरेंट बायो फार्मा प्रा०लि०, 20 गोयल राउ मकान, टी०वी० टावर के पीछे, ड्राइव इन सिनेमा, अहमदाबाद–54, गुजरात।

ध्यान दें कि आवेदक बैंक द्वारा **10,13,662/- रू** के ऋण की वसूली हेतु आप के प्रति ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष **ओ.ए. सं. 1245/2016** लम्बित था, जिसे राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 454 (ई) दिनांक 15.02.2017, एस.ओ. 784 (ई) दिनांक 23.02.2018 तथा शुद्धि–पत्र राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 816 (ई) दिनांक 27.02.2018 द्वारा 16 फरवरी 2017 को देहरादून में नई डीआरटी के संस्थापन के कारण न्यायाधिकार के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून को हस्तांत्रित कर दिया गया है। उपरोक्त संदर्भित मामले को पुनः **टी.ए. सं. 179/2018** नम्बर दिया गया था तथा यह सुनवाई **16.10.2018** को इस माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध था।

चूंकि इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नही है। अतः इस प्रकाशन के जरिये आप को निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 14.12.2018 को पूर्वाहन 10.30 बजे न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर या अपने विधिवत प्रधिकृत एजेंट या कानूनी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो।

इस बात पर ध्यान दें कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट तिथि व समय पर आप के उपस्थित न होने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में ही कर दी जाएगी।

17 अक्टुबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
सील रजिस्ट्रार (आई/सी)
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

जनकपुरी

अनुसूची 6 [नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (भारत) में स्थित जनकपुरी शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना संदर्भ सं. जेकेपी/एनपीए/005/2018 तिथि 3.4.2018 जारी कर ऋणधारक सुश्री सुजाता, पत्नी श्री शिवल श्रीवास्तव एवं श्री शिवल श्रीवास्तव, निदेशकों/गारन्टरों श्री राजकुमार, 1081/6, वार्ड नं. 1, मेहरौली नई दिल्ली को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 51,45,736.00 (रुपये इक्यावन लाख पैंतालिस हजार सात सौ छत्तीस मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक एवं गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक /गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 22 अक्टूबर, 2018 को 12.00 बजे अप. में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक/सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. **51,45,736.00 (रुपये इक्यावन लाख पैंतालिस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 834 (मिन. 0–13), 835 मिन (0–5–2), 836 मिन (0–1–11), फ्लैट नं. 01, 2रा तल, ग्राम डेरा मंडी, नई दिल्ली–110047 से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग।

सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः फ्लैट नं.–02
पूर्वः खुला–15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्रवेश सीढी

तिथिः 22.10.2018 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

Kumbh Mela 2019

Prayagraj Mela Pradhikaran, Prayagraj
Triveni Bhawan, Veni Bandh, Daraganj, Prayagraj
Office- 0532 2504011, Fax- 0532 2500775

Short Notice Inviting E-Tender for Empanelment of Agency for Hiring of tractors, trollies, excavators and transportation of sand for Land Levelling of Kumbh Mela Area

For the management of Kumbh Mela 2019, Tender No. 36/KM-2018-19 Empanelment of Agency for Hiring of tractors, trollies, excavators and transportation of sand for Land Levelling of Kumbh Mela Area. The Request for Proposal document containing the dates, eligibility criteria, details of terms and condition can be obtained from http://etender.up.nic.in. The tender will be available on website from 25.10.2018 to 31.10.2018 till 12:00 pm. Applicant should download/ upload tender document through Digital Signature Certificate (DSC). Received tenders will be opened on 31.10.2018 at 16:00 hrs, in the presence of respective bidders. Details regarding the tender will be available on http://etender.up.nic.in.

Mela Adhikari
Kumbh Mela, Allahabad

सिटी यूनियन बैंक लि.

प्रशासनिक कार्यालयः नं. 24–बी
गांधी नगर, कुम्बाकोनम–612001, फोनः 2402322, 2401622, फैक्सः 0435–2431746

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पुनर्निविदा–सह–नीलामी बिक्री सूचना

ऋणधारकों/ गारंटरों सं. 1.) श्री सुनील अग्रवाल, पुत्र मदन मोहन गोयल, नं. 48, ब्लॉक–1, ईरोस गार्डन, चारवुड विलेज, फरीदाबाद–121009. सं. 2) श्री सुनील सिंह, पुत्र बया सिंह, डी–198, सेक. 47, नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.–201301. 3) मै. एम.जी. इम्पेक्स प्रा.लिमिटेड, एफ–466, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, सं. 4) श्रीमती सीमा अग्रवाल, पत्नी श्री सुनील अग्रवाल, नं. 48, ब्लॉक–1, ईरोस गार्डन, चारवुड विलेज, फरीदाबाद–121009, सं. 5) श्रीमती कुसुम सिंह, पत्नी श्री सुनील सिंह, डी–198, सेक.–47, नोएडा, गौतम बुध नगर, नोएडा, उ.प्र.–201301 द्वारा बैंक को देय 8.6.2018 से चार्ज की जाने वाली आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चे, तथा किसी अन्य बकाये के साथ 7.6.2018 को रु. 9,64,71,042/– (रुपए नौ करोड़ चौंसठ लाख इकहत्तर हजार बयालिस मात्र) की राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित सम्पत्तियों की निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी में बिक्री की जाएगी।

हमारे बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति
(श्री सुनील अग्रवाल, पुत्र मदन मोहन गोयल के स्वामित्व में सम्पत्ति)

नोएडा जिला, गौतम बुधनगर, उ.प्र. की ले आउट योजना में फेज–III के भीतर सेक्टर 63 (तिरेसठ) में स्थित औद्योगिक लीज होल्ड अधिकार का प्लॉट/सम्पत्ति सं. 224 (दो सौ चौबीस), ब्लॉक डी। भूमि की माप 1800 (अठारह सौ) वर्ग मीटर तथा उसके औद्योगिक भवन का कवर्ड एरिया सभी तल पर 794.15 वर्ग मीटर है तथा चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट नं. डी–223, पूर्वः 18 मी. चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट नं. डी–217, दक्षिणः प्लॉट नं. डी–225

आरक्षित मूल्य	रु. 6,25,00,000/– (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
नीलामी का विवरण	
निविदा सह नीलामी बिक्री की तिथि	**स्थान**
16.11.2018	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, दिल्ली चांदनी चौक शाखा, नं. 284–285, फतेहपुरी, चांदनी चौक, दिल्ली–110006, टेलीफोन नं. 011–23929803, सेल नं. 9350011163
निविदा–सह–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें	

1. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी के लिये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा तथा व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा तथा लिखित में इस आशय का उदघोषणा देना होगा कि वे अपने लिए बोली कर रहे हैं। 2. इच्छुक बोलीदाता प्रबंधक, सिटी यूनियन बैंक लि., दिल्ली चांदनी चौक शाखा, नं. 284–285, फतेहपुरी, चांदनी चौक, दिल्ली–110006 से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। 3. इच्छुक बोलीदाता निविदा–सह–नीलामी बिक्री की अधिसूचित तिथि को 12 बजे दोपहर या उससे पूर्व ''सिटी यूनियन बैंक लि.'' के पक्ष में देय आरक्षित मूल्य के 10% के ईएमडी के पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राधिकृत अधिकारी, सिटी यूनियन बैंक लि. को संबोधित मुहरबंद लिफाफे में निर्धारित निविदा प्रपत्र में अपनी बोली जमा कर सकते हैं। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अन्य विवरणों के लिए इच्छुक क्रेता टेलीफोन नं. 011–23929803, सेल नं. 9350011163 पर संपर्क करें। 5. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' आधार पर होगी। 6. मुहरबंद निविदा को निविदा–सह–नीलामी बिक्री की अधिसूचित तिथि को 1 बजे अप. में इच्छुक बोलीदाता के समक्ष खोला जाएगा। यद्यपि सामान्य तौर पर बंद निविदा द्वारा होगी, प्राधिकृत अधिकारी अपनी एकाकी इच्छा से ऐसे इच्छुक बोलीदाता के बीच खुली नीलामी संचालित कर सकते हैं जो बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त बोली से उच्च बोली कोट करने के इच्छुक हों। इस स्थिति में बोली की पुष्टि उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जायेगी। लेकिन, यह बिक्री सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की पुष्टि के अधीन होगी। 7. सफल बोलीदाता को बिक्री की पूर्णता पर तत्काल 25% (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा अन्यथा पूर्व में जमा की गई 25% राशि जब्त कर ली जाएगी। 8. निर्धारित समय–सीमा के भीतर संपूर्ण राशि प्राप्त करने पर ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। 9. सफल क्रेता को कानून के अंतर्गत लागू होने वाले कॉन्वीयन्स के लिए देय चार्जेज/ शुल्कों जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा। 10. सफल बोलीदाता को सांविधिक देयताओं (विधि–सम्मत मकान कर, बिजली शुल्क तथा अन्य बकाये) टीडीएस, जीएसटी, यदि सरकार, सरकारी उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को कोई देय हो, का वहन करना होगा। 11. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित या रद्द करने का सभी अधिकार प्राप्त है।

स्थानः कुम्बाकोनम **तिथिः** 23.10.2018 **प्राधिकृत अधिकारी**

वी2 रिटेल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः खसरा नं0: 928, एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी, विलेज कापसहेडा, तहसील, बसंत विहार, नई दिल्ली–110037
CIN- L74999DL2001PLC147724, फोनः 011–41771850
ईमेल आईडीः cs@vrl.net.in, वेबसाइटः www.v2retail.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियमन 29 के अनुसार बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियमन 29 के अनुसार, 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामो पर विचार और ग्रहण के उद्देश्य के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 02 नवम्बर, 2018 को शाम 4:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

आगे, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध) विनियम 2015, के प्रावधानों के अनुसार, विनियमन, निगरानी और इनसाइडरों द्वारा रिपोटिंग के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में निपटने के लिए ट्रेडिंग विंडो, 25 अक्टूबर, 2018 से 06 नवम्बर, 2018 (दोनों दिनों सहित) तक सभी इनसाइडरों के लिए बंद रहेंगे।

कृते वी2 रिटेल लिमिटेड
हस्ता/–
(रामचंद्र अग्रवाल)
स्थानः नई दिल्ली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
तिथिः 24.10.2018 DIN 00491885

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ के समक्ष
नई दिल्ली
कंपनी याचिका न0. (सीएए) 2018 का 112 (पीबी)
से संबंधित
कंपनी आवेदन सीए (सीएए) न0. 2018 का 31 (पीबी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के मामले में

तथा

डीसीएम लिमिटेड में क्रेस्सिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों के मामले में

क्रेस्सिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड,
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय 1069, फर्स्ट फ्लोर, प्लाजा –1, सेंट्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव –दिल्ली 110006 में है।

........आवेदक–1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी

डीसीएम लिमिटेड,
भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय विक्रांत टॉवर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में है।

........आवेदक–2/हस्तांतरी कंपनी

याचिका की सूचना

धारा 230 से 232 के तहत समामेलन की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, एक याचिका को संयुक्त रूप से डीसीएम लिमिटेड तथा क्रेस्सिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 02 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत किया गया था। और कथित याचिका 05 दिसम्बर, 2018 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति कथित याचिका का समर्थन अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा स्वंय के द्वारा अथवा अपने अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते के साथ यह सूचना, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को याचिका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शपथपत्र इस सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 हस्ता/–
वकील राजीव कुमार
(याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता)
34 बाबर लेन, फर्स्ट फ्लोर, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110001

GOODLUCK
गुडलक इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
www.goodluckindia.com
ईमेल : goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्कताओं) विनियम 2015 के विनियम 47 विनियम 29 के साथ पठित अनुसरण में, सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 05 नवम्बर, 2018 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ–साथ 30 सितम्बर 2018 को कंपनी के तिमाही/छमाही के अंनकेक्षित परिणामों पर विचार तथा उन्हें मान्यता दी जायेगी।

इस सूचना की विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
स्थान : गाजियाबाद (अभिषेक अग्रवाल)
तिथि : 24.10.2018 कंपनी सचिव

Selan Exploration Technology Limited

Regd. Office : J-47 / 1, Shyam Vihar,
Dindarpur, Najafgarh, New Delhi – 110 043
CIN: L74899DL1985PLC021445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 01 November 2018 to consider and take on record, *inter-alia*, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 September 2018.

For **Selan Exploration Technology Ltd.**
Sd/-
Date : 24 October 2018 Meenu Goswami
Place : Gurgaon Company Secretary

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल भारत स्वाभिमान पार्टी के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय 55/1/228,ग्राउंड फ्लोर, भावापूर, जी०टी०बी० नगर, प्रयागराज (इलाहाबाद)–211016 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **29क** के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पते नीचे दिये गये हैं–

सभापति/अध्यक्षः राम प्यारे दीक्षित
महासचिव/सचिवः अमिताभ त्रिपाठी
कोषाध्यक्षः गीता तिवारी

यदि किसी को भारत स्वाभिमान पार्टी के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को, इस सूचना के प्रकाशन 30 दिनों के भीतर भेजें।

IDBI BANK

पेसिफिक बिजनेस पार्क, डी आर बुर्मन मार्ग,
प्लॉट नंबर 37/1, साइट IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद – 201010 (यूपी)

कब्जा सूचना

नियम 8 (1) के अंतर्गत अचल सम्पति के लिए

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना तिथि जारी कर एतद् पश्चात नीचे दिए गए एकाउंट और एमाउंट को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारको, आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित एकाउंट और एकाउंट के सामने दिए गए तिथि को सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ताओं को ध्यान एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपतियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता हैं।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय लागत और उस पर ब्याज, के लिए आई डी बी आई बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा की गई सम्पति का विवरण इस प्रकार है।

क्रम संख्या	उधारकर्ता गारंटर का नाम	बंधक संपति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13 (2) की सूचना में वर्णित के अनुसार	मांग सूचना की दिनांक	कब्जा सूचना की दिनांक
1	उधारकर्ता धरमिथ वेंचर्स और गारंटर श्री मती दीपा शर्मा	जमीन - खसरा नं. 215 मीन,एन एच 58, गांव - नारसन खुर्द, तहसील- रूड़की, जिला - हरिद्वार, उत्तराखंड पर स्थित बिल्डिंग के सम्पूर्ण भूतल, प्रथम तल और अन्य निर्माण के सभी खंड और हिस्से।	रुपये 93,86,688.82 दिनांक 01/02/2018 तक तथा साथ ही 02/02/2018 से ब्याज और बैंक द्वारा वहन किये गये आकस्मिक खर्चे आदि	22/05/2018	20/10/2018

दिनांक : 25.10.2018 स्थान : हरिद्वार हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, आई डी बी आई बैंक लि.

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.

CIN: L74999HR1985PLC019905
Regd. Off: 72-77, HSIIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind-126102 (Haryana)
Corp. Office: 1405 B, Signature Towers, South City -1, Gurugram -122001, HR
Ph: +91-124-2739000

NOTICE
BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, the 02nd day of November, 2018 at 12.30 pm** at 1405-B, Signature Tower, Gurugram-122001 (Haryana), *inter alia*, to consider and approve the unaudited standalone Financial Results of the Company for the second Quarter and six months ended September 30, 2018.

The above information is available on the website of the Company (www.leatherchem.com), the BSE Limited (www.bseindia.com).

For **Haryana Leather Chemicals Ltd.**
Place : Gurugram **SILU NANDA**
Date : 25.10.2018 ***Company Secretary***

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक एवं गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सिंडीकेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

शाखा	ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	30.11.2017 को बकाया राशि
सेक्टर–5, आरकेपुरम शाखा	1. मै. आरबीआर प्लास्टिक्स 2. सुश्री रेखा शर्मा (प्रॉप. मै. आरबीआर प्लास्टिक्स) 3. श्री विजय शर्मा 4. श्री प्रकाश शर्मा 5. श्री योगेश शर्मा	अधोलिखित अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः क) सी–104–जीएफ, अशोका एन्क्लेव, सेक्टर–37, फरीदाबाद–121003 में स्थित आवासीय सम्पत्ति। ख) हाइपोथेकेटेड मशीनरीज का विवरणः 1. पायल प्लास्टिक्स–पीजी–90 टी हॉरिजॅण्टल रुक्रू टाइप, 2. नटराज प्लास्टिक्स मशीनरीः निम्म–150150, 3. नटराज प्लास्टिक्स मशीनरी–एन150 टन पेट मॉल्डिंग मशीन	1.4.2014	20.10.2018	एसओडी लिमिट खाता नं. 90091400000015 रु. 51,41,224.08 (रुपये इक्यावन लाख इकतालिस हजार दो सौ चौबीस तथा पैसे आठ मात्र), सावधि ऋण खाता सं. 90097760000044, रु. 7,93,612.81 (रुपये सात लाख तिरानवे हजार छः सौ बारह एवं पैसे इक्यासी मात्र) खाता नं. 90097910000012, रु. 9,02,574.59 (रुपये नौ लाख दो हजार पाँच सौ चौहत्तर एवं पैसे उन्सठ मात्र) तथा खाता नं. 90567220000689, रु. 3,98,511.10 (रुपये तीन लाख अन्ठानवे हजार पांच सौ ग्यारह तथा पैसे दस मात्र) के साथ उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि।

तिथिः 25.10.2018 **स्थानः** नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक**

ESCORTS FINANCE LIMITED

MC2

Regd. Office : SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017
CIN : L65910CH1987PLC033652 | Phone: 0129-2564116
Email:escortsfinance@escorts.co.in | Website: www.escortsfinance.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2018

Rs.In Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Six Months ended		Year Ended
		30.09.2018	30.06.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017	31.03.2018
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	1.53	2.02	2.70	3.55	10.77	16.42
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.21)	(6.05)	(8.54)	(14.26)	(8.70)	(276.27)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.21)	(6.05)	(8.54)	(14.26)	(8.70)	(276.27)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.21)	(6.05)	(8.54)	(14.26)	(8.70)	(97.47)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income after tax	(8.21)	(6.05)	(8.54)	(14.26)	(8.70)	(97.47)
6	Equity Share Capital Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-each)	4,017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year						(21,835.16)
8	Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period (not annualised): Basic & Diluted (in Rs.)	(0.0204)	(0.0151)	(0.0213)	(0.0355)	(0.0217)	(0.2426)

Notes:

1. The above Standalone Financial Results were reviewed by the Audit committee and approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 23 October 2018.
2. The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.
3. The Company has a single reportable segment namely financial services (limited to recovery of loan assets) for the purpose of Ind AS-108.
4. M/s Escorts Benefit Trust (EBT) created by Escorts Limited maintains adequate funds to repay the matured unpaid fixed deposit liability, in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court. During the quarter ended on 30 September 2018, EBT has settled the claims to the extent of Rs. 0.21 lacs by payment to respective fixed deposit holders. The remaining liability towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1094.92 lacs as on 30 September 2018 (Rs.1095.13 lacs as on 30 June 2018) and is pending for deposit in Investor Education & Protection Fund.
5. Deferred Tax Assets has not been recognised in the books of account as there is no virtual certainity of future taxable income.
6. Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter ended 30 September 2018:
   - (a) Remaining liabilities towards unpaid/unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs.1094.92 lacs as on 30 September 2018 and is pending for deposit in Invester Education & Protection Fund.
     Complete facts have been disclosed in Note 4 above which is self explanatory and does not call for any further comments.
   - (b) The Company has not obtained Actuarial Valuation with regards to Employee's terminal benefits i.e. Gratuity & Leave Encashment as mandated by Ind AS -19 issued by the ICAI.
     In view of only three numbers of employees on rolls, the Company has made full provision for these benefits on actual basis.
7. The Company had accumulated losses as at the close of the financial year with its net worth continuing to stand fully eroded. However the Company continues to focus on recovery of old delinquent loan assets through settlement/ compromise /legal action etc. arising out of it's earlier business of the NBFI. The management is considering various ways and means to enter into suitable business(s) and therefore the accounts have been prepared on Going Concern Basis.
8. The figures for the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.
9. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and on the Company's website www.escortsfinance.com.

By Order of the Board
For **Escorts Finance Limited**

Place: Faridabad
Date: October 23, 2018

Pritam Narang
Whole Time Director
DIN : 00982418